भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3212

जिसका उत्तर 19 मार्च, 2025 को दिया जाना है

28 फाल्गुन, 1946 (शक)

डिजिटल सामग्री की प्रामाणिकता

3212. श्रीमती प्रतिमा मण्डल :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए कंटेंट मॉडरेशन में क्या भूमिका है;

(ख) सरकार ऐसे विनियमनों के कारण राजनीतिक रूप से संवेदनशील सामग्री को मनमाने ढंग से नहीं हटाया जाना किस प्रकार से सुनिश्चित करती है;

(ग) सरकार द्वारा डीप फेक तकनीक और एआई-जनित मिथ्या सूचनाओं के बढ़ाने के दृष्टिगत डिजिटल सामग्री की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए नागरिकों और मीडिया संगठनों को उपकरणों से लैस करने के लिए क्या पहल की जा रही है; और

(घ) सरकार मीडिया सामग्री की स्थापित भाषाओं में उपलब्धता और विभिन्न सांस्कृतिक आख्यानों का दर्शाया जाना सुनिश्चित करने के लिए किस प्रकार से स्थानीय और सामुदायिक प्रसारण की सहायता कर रही है ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ग): केन्द्र सरकार की नीतियों का उद्देश्य अपने उपयोगकर्ताओं के लिए स्वतंत्र, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करना है । उक्त उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता के लिए, केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ("आईटी अधिनियम") के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 ("आईटी नियम") को अधिसूचित किया है। ये नियम सोशल मीडिया मध्यस्थों सहित मध्यस्थों पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय उचित सावधानी बरतने के लिए विशिष्ट दायित्व डालते हैं। नियमों में दिए गए सावधानी बरतने में विफल होने की स्थिति में, मध्यस्थ उनके द्वारा

उपलब्ध कराई गई किसी भी तीसरे पक्ष की जानकारी, डेटा या संचार लिंक के लिए देयता से छूट खो देगा और कानून के अनुसार इसके लिए उत्तरदायी होगा। इस तरह की सावधानी में मध्यस्थ द्वारा अपने उपयोगकर्ताओं को ऐसी जानकारी होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, प्रकाशित, प्रसारित या संग्रहीत न करने के लिए उचित प्रयास करना शामिल है जो जानबूझकर या एदादतन किसी भी कानून का उल्लंघन करने वाली जानकारी का संचार करती है।

आईटी अधिनियम एआई उपकरण या किसी अन्य तकनीक का उपयोग करके उत्पन्न किसी भी जानकारी और उपयोगकर्ताओं द्वारा स्वयं उत्पन्न की गई जानकारी के बीच अंतर नहीं करता है। आईटी नियमों के अनुसार, सोशल मीडिया मध्यस्थों सहित मध्यस्थों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे भारत में किसी भी कानून का उल्लंघन करने वाली किसी भी जानकारी को हटा दें, जब भी उन्हें न्यायालय के आदेश या किसी उपयुक्त सरकार या उसकी अधिकृत एजेंसी द्वारा नोटिस के माध्यम से जानकारी मिले। मध्यस्थ मंच पर उपलब्ध ऐसी किसी भी जानकारी को हटाने के लिए नोटिस संबंधित उपयुक्त सरकारों या उनकी अधिकृत एजेंसियों द्वारा सीधे भेजा जाता है जहां उपयुक्त सरकार संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार राज्य और केंद्र सरकार दोनों हो सकती है।

इस मंत्रालय ने समय-समय पर आईटी नियमों के तहत मध्यस्थों/प्लेटफार्मों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधारभूत मॉडल/लार्ज लैंग्वेज मॉडल (एलएलएम)/जनरेटिव एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता), सॉफ्टवेयर या एल्गोरिथम के उपयोग पर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परामर्श भी जारी किए हैं।

(घ): भारत सरकार ने सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सीआरएस) को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं। सीआरएस की स्थापना के लिए नीति दिशानिर्देशों में नए सीआरएस को लाइसेंस देने के लिए मानदंड और प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, जिसमें पात्रता की आवश्यकता और विनियामक अनुपालन शामिल है। समय-समय पर संशोधित उक्त नीति दिशानिर्देशों में यह अनिवार्य किया गया है कि कम से कम 50% सामग्री स्थानीय समुदाय की भागीदारी से तैयार की जाएगी और कार्यक्रम अधिमानतः स्थानीय भाषा और बोली में होने चाहिए।

******